संख्या- 16/2021/1508/2021-77-1002(001)/1/2021

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

विषयः- उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-.व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट व्यवस्था रू0- 5,88,19,000.00 (रू0 पांच करोड़ अटठासी लाख उन्नीस हजार मात्र) में से तृतीय किश्त के रूप में रू0-1,47,04,000.00 (रू0 एक करोड़ सैतालिस लाख चार हजार मात्र) का ऋण दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :-

1 उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वर्ष 2020-21 में उक्त स्वीकृत धनराशि रू0-1,47,04,000.00 (रू0 एक करोड़ सैतालिस लाख चार हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।

2 उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 15 प्रतिशत (11.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3 उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

4 स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-.व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थित हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

5 कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व निर्गत किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय कर लिया जाए, तभी अगली किश्त का आहरण राजकोष से किया जाएगा।

6 कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।

7 स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2022 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजी जाए।

8 उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।

9 उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्सस संघ लि0, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें:-

(क)- कोषागार का नाम।

(ख)- चालान संख्या व दिनांक।

(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।

(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।

(च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।

(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ

10 ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

11 धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

12 स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- "6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-01-वस्त्र उद्योग-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-06-उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लि0 को कर्ज-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनुसचिव।

संख्या व दिनांक : यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
6. सचिव/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।